"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 मार्च 2019 — फाल्गुन 23, शक 1940

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 8 मार्च 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–15/2018/18.– छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 432–क सहपठित धारा 427 के खण्ड (36); तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 358 की उप–धारा (3) के खण्ड (पांच) सहपठित 359 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा किये गये निक्षेप कार्य तथा/या पर्यवेक्षण और अन्य सेवाओं के संबंध में शुल्क के उद्ग्रहण के लिये निम्नलिखित आदर्श उप–विधियाँ बनाती है, अर्थात्:–

आदर्श उप–विधियाँ

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) ये उप–विधियाँ (शहर का नाम) नगरपालिक (निक्षेप कार्य तथा/या अन्य पर्यवेक्षण और अन्य सेवाओं के संबंध में शुल्क का संग्रहण एवं उद्ग्रहण) उप–विधियाँ, 2019 कहलायेगी।

(2) ये उप–विधियाँ यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 432–क या धारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 359 के अधीन स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा इनके अंगीकरण किये जाने की तारीख से अथवा राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से छः माह के पश्चात्, इनमें से जो भी पहले हो, प्रवृत्त होंगी।

2. **अपवर्जन.**– राज्य शासन के लिए किये गये कार्य, इन उप–विधियों के अधीन निक्षेप कार्य समझे जायेंगे।

3. **परिभाषाएं.**– (1) इन उप–विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है संदर्भ के अनुसार, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) समय–समय पर यथा संशोधित; या/तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) समय–समय पर यथा संशोधित; और इसमें अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियम और उप–विधियां सम्मिलित होंगी;

(ख) "ग्राहक" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति या प्राधिकारी, जिसमें केन्द्र तथा/या राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम सम्मिलित है, जिसके आदेश के अनुसार, स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा निक्षेप/पर्यवेक्षण कार्य किये जा रहे हैं या किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर ऐसे ग्राहक द्वारा लागत और शुल्क का भुगतान किया गया है या उसके द्वारा देय है।

(ग) "निक्षेप कार्य" से अभिप्रेत है ऐसे कार्य, जो नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा, प्रत्यक्ष या किसी अभिकरण के माध्यम से, ग्राहक की ओर से या उसके लिए, ऐसे ग्राहक द्वारा भुगतान किये गये या देय लागत तथा शुल्क के प्रतिफल से किया जाये;

(घ) "पर्यवेक्षण" से अभिप्रेत है ऐसे पर्यवेक्षण कार्य, जो नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा, प्रत्यक्ष या किसी अभिकरण के माध्यम से, ग्राहक की ओर से या उसके लिए, भुगतान किये गये या देय लागत तथा शुल्क के प्रतिफल से किया जाये;

(ङ) "नगरपालिका अधिकारी" से अभिप्रेत है नगरपालिक निगम की स्थिति में, नगरपालिक आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी और नगर पालिका तथा नगर पंचायत की स्थिति में, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(च) "यूएलबी या स्थानीय नगरीय निकाय या यूएलबी" से अभिप्रेत है यथास्थिति, नगरपालिक निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत, संयुक्त रूप से या पृथक–पृथक रूप से।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, संदर्भ के अनुसार, उनके वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम में या संबंधित नियमों में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं।

4. **किये गये निक्षेप कार्य तथा/या अन्य पर्यवेक्षण या दी गई अन्य सेवाओं के लिये शुल्क** – (1) किये गये निक्षेप कार्य तथा/या अन्य पर्यवेक्षण तथा दी गई अन्य सेवाओं के लिये स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा ग्राहक से शुल्क उद्ग्रहित और संग्रहित किया जायेगा।

(2) शुल्क निम्नलिखित माप के अनुसार होंगे :–

स. क्र.	कार्य का माप	शुल्क (कालम (दो) में उल्लिखित राशि का प्रतिशत)
(एक)	(दो)	(तीन)
(क)	एक लाख रूपये तक के कार्य	22.75%
(ख)	एक लाख रूपये से अधिक किंतु दो करोड़ रूपये से कम के कार्य	12.00%
(ग)	दो करोड़ रूपये से अधिक किंतु पांच करोड़ रूपये से कम के कार्य	08.00%
(घ)	पांच करोड़ रूपये से अधिक के कार्य	07.00%

(3) कर, यदि लागू हो, का उद्ग्रहण तथा संग्रहण उपरोक्त के अतिरिक्त होगा।

(4) आपवादिक मामलों में, कारणों को लेखबद्ध करते हुए तथा राज्य शासन को संसूचित करने के पश्चात्, यूएलबी, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन तथा शर्तों, यदि कोई हो, जैसा कि ऐसे अनुमोदन में अन्तर्विष्ट हो, के अध्यधीन रहते हुए, उप–उपविधि (2) में निर्धारित दरों से अधिक या कम दरों पर शुल्क उद्ग्रहित तथा संग्रहित कर सकेगा।

(5) यदि इन उप–विधियों के प्रवृत्त होने की तारीख पर, कोई यूएलबी, किसी ग्राहक के लिए, किसी अनुबंध की शर्तों के अनुसार, कोई निक्षेप या पर्यवेक्षण कार्य कर रहा हो, तो ऐसे अनुबंध की शर्तें, इन उप–विधियों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात से प्रभावित नहीं होंगी।

5. **शुल्क की वसूली**.– (1) इन उप–विधियों के अंतर्गत शुल्क की वसूली, कार्य हेतु ग्राहक द्वारा विमुक्त किश्त की राशि के साथ ही की जायेगी।

(2) बकाये शुल्क, यदि कोई हो, की वसूली अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिक शोध्य के बकाया के रूप में की जायेगी।

आयुक्त
नगरपालिक निगम/नगरपालिकायें,.....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप–सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 मार्च 2019

क्रमांक एफ 5–15/2018/18.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–15/2018/18 दिनांक 08–03–2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 8th March 2019

NOTIFICATION

No. F 5-15/2018/18.— In exercise of the powers conferred by Section 432-A read with clause (36) of Section 427 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956); and clause (v) of sub-section (3) of Section 358 read with Section 359 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961); the State Government hereby makes the following Model Bye-laws, for levy of charges in respect of deposit works and/or other supervision and other services rendered by the municipal authorities, namely:-

MODEL BYE-LAWS

1. **Short title and commencement**.—(1) These bye-laws may be called the (Name of the City) Municipal (Collection and Levy of Charges in respect of Deposit Works and/or Other Supervision and Other Services) Byelaws, 2019.

(2) These bye-laws shall come into force from the date of their adoption by the Urban Local Body or after six months from the date of their publication in the Official Gazette, whichever is earlier, in terms of Section 432-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) or Section 359 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961), as the case may be.

2. **Exclusion**.— Works done for the State Government shall not be deemed to be deposit works under these bye-laws.

3. **Definitions**.—(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means, according to the context, the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) as amended from time to time; and/or Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961) as amended from time to time; and shall include the Rules and Bye-laws framed under the Act;

(b) "Client" means the person or authority, including public sector undertakings of the Central and/or State Government, against whose order, the deposit/ supervision works are being carried out or are proposed to be carried out by the ULB, against costs and charges paid or payable by such client;

(c) "Deposit Works" means works done by the Municipal authority, directly or through an agency, for or on behalf of a client, in consideration of costs and charges paid or payable by such client;

(d) "Supervision" means supervisory work done by the Municipal authority, directly or through an agency, for or on behalf of a client, in consideration of costs and charges paid;

(e) "Municipal Officer" means the Municipal Commissioner or any officer authorized by him in the case of Municipal Corporations and the Chief Municipal Officer or any officer authorized by him in the case of Municipalities and Nagar Panchayats;

(f) "ULB" or "Urban Local Body" means, as the case may be, a Municipal Corporation, Municipality or Nagar Panchayat, collectively or separately.

(2) Words and expressions used but not defined herein shall, according to the context, shall have the same meaning as assigned to them respectively in the Act or in the respective Rules.

4. Charges for Deposit Works done and/or Other Supervision and Other Services rendered.—(1) The ULB shall levy and collect charges, for Deposit Works done and/or Other Supervision and Other Services rendered, from the client.

(2) The charges shall be according to the following scale:-

Sl. No	Scale of Work	Charges [as percentage of amount mentioned in column (ii)]
(i)	(ii)	(iii)
(a)	Works of upto Rupees One Lac	22.75%
(b)	Works of more than Rupees One Lac but below Rupees Two Crores	12.00 %
(c)	Works of more than Rupees Two Crores but below Rupees Five Crores	08.00 %
(d)	Works of more than Rupees Five Crores	07.00 %

(3) Taxes, if applicable, shall be levied and collected in addition to above.

(4) In exceptional cases, and after recording reasons in writing and communicating to the State Government, the ULB may, subject to prior approval of the State Government and conditions, if any, as may be contained in such approval, levy and collect charges above or below the charges prescribed in sub-bye-law (2).

(5) If on the date these bye-laws come into force, any ULB is doing any deposit/supervision work for any client in terms of any agreement, the terms of such agreement shall not be affected by anything contained in these bye-laws.

5. Recovery of Charges.—(1) The charges under these bye-laws shall be recovered along with the instalment released by the client for the works.

(2) Unpaid charges, if any, shall be recovered as arrears of Municipal dues under the Act.

COMMISSIONER
MUNICIPAL CORPORATION /
MUNICIPALITIES, ...

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय,नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.